

फर्द अहकाम

रेखा यनाम भौरीसाल

सहायक कलक्टर, बस्सी


पत्र/मुकदमा नम्बर : 18/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

23 नियम 1 सीपीसी का स्वीकार
किया जाकर वादपत्र विद्वा की अनुमति
दी जाकर वादपत्र में प्रा.पत्र वादपत्र
विद्वा स्वीकार होने से वादिका का वाद
खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
बाद तकमिल दायिल दफ्तर है।


सहायक कलक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण